झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
सिविल रिट याचिका संख्या 1294/2017

1. अनुज अग्रवाल @अनुज कुमार अग्रवाल
2. जितेंद्र अग्रवाल
3. बसंत कुमार अग्रवाल, स्वर्गीय हरिराम अग्रवाल के सभी बेटे, निवासी कोकपारा नरसिंहपुर, डाकघर एवं थाना धालभूमगढ़, जिला पूर्वी सिंहभूम .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से झारखंड राज्य, जमशेदपुर में पूर्वी सिंगभूम, डाकघर एवं थाना साकची, टाउन जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम
2. भूमि सुधार उप-कलेक्टर, घाटशिला, डाकघर एवं थाना घाटशिला, जिला पूर्वी सिंहभूम
3. सर्किल ऑफिसर, घाटशिला, डाकघर एवं थाना घाटशिला, जिला पूर्वी सिंहभूम.... उत्तरदाता
4. गोविंद कुमार अग्रवाल,
5. बसंत लाल अग्रवाल,
6. गोपाल राम अग्रवाल, स्वर्गीय भोलेराम अग्रवाल के सभी बेटे, निवासी कोकपारा नरसिंहपुर डाकघर एवं थाना धालभूमगढ़, जिला पूर्वी सिंहभूम .....उत्तरदाता/आवेदक

याचिकाकर्ताओं के लिएः श्री इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता
श्री सागर कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः श्री पी.ए.एस. पति, अधिवक्ता

उपस्थित
माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायलय द्वारा : दोनों पक्षों को सुना

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर की गई है, जिसमें 25.01.2017 को अतिरिक्त उपायुक्त, सिंहभूम पूर्व, जमशेदपुर द्वारा उत्परिवर्तन संशोधन मामला संख्या 02/2016-17 में पुनरीक्षण प्राधिकरण होने के कारण पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अतिरिक्त उपायुक्त, सिंहभूम पूर्व, जमशेदपुर ने सर्कल अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में किए गए उत्परिवर्तन के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसे एल.आर.डी.सी द्वारा बरकरार रखा गया था।

3. निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं के पास विचाराधीन भूमि का कब्जा नहीं है और उन्होंने कब्जे की वसूली के लिए 2016 का मूल शीर्षक मुकदमा संख्या. 13 दायर किया है।

4. यह विधि का एक स्थापित सिद्धांत है कि राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि केवल राजकोषीय प्रयोजनों के लिए है और यह न तो संबंधित व्यक्ति के स्वामित्व को सृजित करता है और न ही समाप्त करता है और यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता भूमि के कब्जे में नहीं है और राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि के लिए अधिकार महत्वपूर्ण कारक है; यह न्यायालय 25.01.2017 के विद्वत अतिरिक्त उपायुक्त, सिंहभूम पूर्व, जमशेदपुर द्वारा उत्परिवर्तन पुनरीक्षण मामला संख्या 02/2016.17 में पुनरीक्षण प्राधिकारी होने के कारण पारित किए गए आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है क्योंकि पक्षों के बीच विवाद पहले से ही सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

5. तदनुसार, इस रिट याचिका का निपटान इस शर्त के साथ किया जाता है कि अतिरिक्त उपायुक्त, सिंहभूम पूर्व, जमशेदपुर द्वारा पारित विवादित आदेश सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रभाग, घाटशिला की अदालत में लंबित 2016 के मूल शीर्षक वाद संख्या. 13 के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 09 अप्रैल 2024
ए.एफ.आर/ अनिमेष-सरोज

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|